

सीमाशुल्क

टिप्पण : (क) "सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन उद्गृहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(ख) प्रतिशुल्क से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(ग) विशेष अतिरिक्त शुल्क से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3क के अधीन अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

सीमाशुल्क के बारे में मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

I. साधारण दर संरचना :-

क. कम की गई मूल्यानुसार सीमाशुल्क की उच्चतम दर

- सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 35% से कम करके 30% किया गया है।

ख. कृषि:

- (i) चाय और काफी पर सीमाशुल्क को 70% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है।
- (ii) मसाले (मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची), प्राकृतिक रबर और खसखस पर सीमाशुल्क को 35% से बढ़ाकर 70% किया गया है।
- (iii) दालों पर सीमाशुल्क को 5% से बढ़ाकर 10% किया गया है: विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट जारी रहेगी।
- (iv) विनिर्दिष्ट कृषि मशीनरी और साधन (सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के शीर्ष 84.32, शीर्ष 84.33, शीर्ष 84.36 और शीर्ष 84.37 के अंतर्गत आने वाले) पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 15% किया गया है।
- (v) 30% की शुल्क दर ऐसे अखाद्य तेल को लागू होगी जिसकी अंतर्वस्तु में 20% या उससे अधिक वसा मुक्त अम्ल है।

ग. स्टील:

- (i) उच्चतापसह कच्ची सामग्रियों, निम्न सिलिका चूना पत्थर और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पर सीमाशुल्क को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया गया है:-

वस्तु	से	तक
- प्राकृतिक ग्रेफाइट चूर्ण	35%	25%
- एंडाल्युसाइट	25%	15%
- संगलित मुल्लीट	25%	15%
- ऐलुमिनी सीमेंट	35%	25%
- सिलिकामय धातु (99% शुद्ध)	35%	25%
- सूक्ष्म/फ्यूज्ड सिलिका	35%	25%
- निष्ठापित एल्युमिनिया	35%	25%
- ब्राउन फ्यूज्ड एल्युमिनिया	35%	25%
- सिंटरित/टब्यूलर एल्युमिनिया	35%	25%
- फ्यूज्ड जिर्कोनियम	35%	25%
- सोडियम हैक्सामैटाफासफेट	35%	25%
- सिलिकान कारबाइड	35%	25%
- बोरोन कारबाइड	35%	25%
- अभिक्रियाशील एल्युमिनिया	35%	25%
- निम्न सिलिका चूनापत्थर		
(0.6 % से अन्यून सिलिका अंतर्वस्तु)	25%	15%
- ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड (24 इंच से ऊपर)	25%	15%

- (ii) काइन ब्लैक्स के लिए एचआर एसएस को सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है।

- (iii) इस्पात संयंत्र आधारित कोरेक्स प्रौद्योगिकी द्वारा आयातित मैटकोक पर सीमाशुल्क 15% से घटाकर 5% किया गया है।

- (iv) एच आर जी ओ/एच आर एन जी ओ पर सीमाशुल्क 35% से घटाकर 25% किया गया है।

- (v) पोत विघटित करने पर सीमाशुल्क, प्रतिशुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट के साथ-साथ, 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है।

- (vi) गौण और त्रुटियुक्त इस्पात पर सीमाशुल्क 40% की आबद्ध दर तक बढ़ा दिया गया है।

घ. अलौह धातुएं:

- (i) तांबा, जिंक और सीसा पर सीमाशुल्क 35% से घटाकर 25% कर दिया गया है।
- (ii) टिन पर सीमाशुल्क 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है।
- (iii) एलुमिनियम पर सीमाशुल्क 25 से घटाकर 15% कर दिया गया है।

ङ सूचना प्रौद्योगिकी:

- (i) आई टी ए आई करार के अधीन शुल्क रहित व्यवस्था कार्यान्वयन को 2003 से 2005 तक स्थगित कर दिया गया है।
- (ii) विनिर्दिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सीमाशुल्क, 2002 की बाध्यताओं के अनुसार, 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- (iii) सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/दूरसंचार क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट इंपुट पर सीमाशुल्क 25%/35% से घटाकर 5% और विनिर्दिष्ट पूंजी माल पर सीमाशुल्क 25% से घटाकर 15% किया गया है।
- (iv) सेल फोन, रेडियो पेजर्स, रेडियो ट्रैकिंग टर्मिनलों पर सीमाशुल्क संरचना 5% से बढ़ाकर 10% की गई है। तथापि, प्रतिशुल्क से छूट प्राप्त है।

च. पेट्रोलियम:

- क. एसकेओ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सीमाशुल्क 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है।
 ख. एस के ओ पर समानांतर वितरण प्रणाली में सीमाशुल्क 35% से कम कर के 20% कर दिया गया है।

छ. फार्मास्युटिकल:

- (i) कैंसर और कुछ अन्य गम्भीर रोगों के उपचार के लिए निम्नलिखित औषधियों को पूरी तरह छूट प्राप्त औषधियों की सूची में शामिल किया गया है:-
 (क) बासीलिकसीमैब
 (ख) बैल्टेम्ट इंट्रा टैकियल ससपेंन्सन
 (ग) इमैटिनिव मैसिलेट
 (घ) रिवेस्टीगमाइन
 (ङ.) रिटुक्सीमैब
 (च) टैट्रोफोस्मीन
 (छ) ट्रास्टूजुमैब
 (ज) जोलेट्रोनिन अम्ल
 (ii) विनिर्दिष्ट 88 औषधियों पर 5% की दर से सीमाशुल्क अधिरोपित किया गया है। 47 औषधियों को छूट की सूची से अपवर्जित कर दिया गया है।
 (iii) जापानी एनसेफालिटिस के टीके को सीमाशुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।

ज. पत्तन और विमानपत्तन:

- (i) पत्तनों और विमानपत्तनों के लिए विनिर्दिष्ट उपस्करों पर सीमाशुल्क 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है।
 (ii) हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, हवाईजहाजों के सिमुलेटर तथा उनके हिस्से, पुर्जे (इसमें हवाई जहाजों तथा ग्लाइडरों के रबड़ के टायर और ट्यूब सम्मिलित नहीं हैं) और कच्ची सामग्रियों को सीमाशुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

झ. अन्तरराष्ट्रीय वचनबद्धता:

- (i) भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के अधीन विनिर्दिष्ट माल के लिए छूट को 50% विस्तारित करके 90% कर दिया गया है।
 (ii) लिकर पर सीमाशुल्क 210% से कम करके 182% कर दिया गया है।

ञ. लिकर पर प्रतिशुल्क निम्नानुसार उपान्तरित किया गया है:

प्रति केस 25 अमरीकी डॉलर तक :	75%
अन्य :	50%

ट. विशेष आर्थिक क्षेत्र:

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विकासकर्ता और विनिर्माण/प्रसंस्करण इकाईयां आयातित पूंजी माल सहित इंपुट और अन्य सामग्रियों के लिए छूट की पात्र होगी।

ठ. वस्त्र मशीनरी:

रेशम वस्त्र उद्योग की रीलिंग टविस्टिंग, न्यूतन और प्रसंस्करण मशीनरी पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 10% कर दिया गया है। इन्हें केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर से भी छूट दी गई है। 28 प्रसंस्करण मशीनरियों, स्वचालित शटल करघों और विनिर्दिष्ट जूट मशीनरी को भी केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर से मुक्त किया गया है। वस्त्र मशीनरी पर छूट 28.02.2005 तक उपलब्ध रहेगी।

ड. (क) कतिपय मदों पर 5% की दर से शुल्क अधिरोपित किया गया है:

1. प्याज
 2. 6 विनिर्दिष्ट रासायनिक मध्यवर्ती
 3. एलिसा किटें (एडस जांच किट) के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली 9 मदें।
 4. 88 विनिर्दिष्ट ओषध या औषधियां और उनके प्रपुंज ओषध
 5. विनिर्दिष्ट चिकित्सीय उपस्कर और ऐसे विनिर्दिष्ट उपस्करों के विनिर्माण, अनुसंधान को लिए अपेक्षित उपसाधन/फालतू पुर्जे/पुर्जे
 6. विनिर्दिष्ट ईएनटी उपस्कर
 7. नेत्र की शल्यक्रिया के लिए विनिर्दिष्ट उपस्कर
 8. सन्दर्भ मानक
 9. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयातित संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर, औजार, निगरानी प्रणालियां आदि।
 10. विनिर्दिष्ट अनुसंधान और विकास संस्थाओं द्वारा आयातित रिकार्डड चुम्बकीय टेप, माइक्रो फिल्म वैज्ञानिक और तकनीकी उपस्कर, कम्प्यूटर आदि
 11. शैक्षिक प्रकृति के वीडियो कैसेट/टेप
 12. कम्प्यूटरों में अनुप्रयोग के लिए विश्वविद्यालय आयोग द्वारा आयातित रिकार्डड चुम्बकीय टेप, फ्लॉपी डिस्क
 13. पशुओं का अग्न्याशय
 14. प्रशीतित पशु वीर्य और पशु वीर्य प्रशीतन उपस्कर (पशुओं के प्रजनन के प्रयोजनों के लिए)
- (ख) निम्नलिखित मदों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित किया गया है:**
1. गाय, बछिया, सांड, बकरी, भेड़, सूकर, अगोरा, खरगोश, हंसक और प्योर लाइन कुक्कुट स्टॉक
 2. पादप सामग्रियां, अर्थात्, तिलहन सब्जियों के बीज, फूल और सजावटी पादप, ट्यूबर और फूलों के बल्ब, फूल पादपों की कटिंग या कलमें, बीज या फलों के पौधे और दालों के बीज जो अध्याय 6, 7, 8 या 12 के अधीन आते हैं।
 3. कच्चा या अपरिष्कृत सल्फर
 4. पिसा हुआ प्राकृतिक कैल्शियम फास्फेट, प्राकृतिक एल्युमिनियम कैल्शियम फास्फेट और फास्फेटिक चाक
 5. रजत चूर्ण निलंबन
 6. सिल्कान रेजिनस और सिल्कान रबर

7. वुड चिप्स, स्थूल सहित काष्ठ और स्थूल रूप से वर्गाकार या अर्ध वर्गाकार काष्ठ, ईंधन काष्ठ, काष्ठ चारकोल, आदि
8. कच्ची जूट
9. परिष्कृत पैट्रोलियम परिष्करणी की स्थापना के लिए विनिर्दिष्ट माल
10. मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मत्स्य या पुरुष कवची मोलस्क और अन्य जलचर अवशेषरुकी का आटा, अवचूर्ण और गुटिका
11. झींगा भोज्य
12. एन पैराफिन/एल ए बी के विनिर्माण के लिए किरोसीन
13. अंगूरों के लिए परिष्कृत कागज
14. हथकरघा सेक्टर के लिए कच्ची ऊन
15. अपरिष्कृत मोती, अपरिष्कृत तराशे हुए मोती, माणिक्य, मरकत और नीलम, कोरा अल्पमूल्य प्रस्तर
16. मत्स्यन और मत्स्य उत्पादों के प्रसंस्करण/परिष्करण के लिए अन्य जलयान
17. निकर्षित्र, टग, कर्षक शिल्प
18. विनिर्दिष्ट अस्पतालों में उपयोग के लिए अस्पताल के उपस्कर
19. 15 मेवा या उससे अधिक के किरणपुंज ऊर्जा वाला रैखिक त्वरक

द्व

प्रकीर्ण:

- (i) सीमेंट और अवशिष्ट राख (किलंकर) पर सीमाशुल्क 25% से घटा कर 20% कर दिया गया है।
- (ii) ग्लूकोमीटरों और परीक्षण पट्टियों पर सीमाशुल्क 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है।
- (iii) अग्नि शमन उपस्कर पर विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क 25% से घटाकर 20% कर दिया गया है।
- (iv) दूध ब्रुशों के लिए नायलान एकल फिलामेन्ट बनाने के लिए नायलान 6,12 चिपों पर सीमाशुल्क 35% से घटा कर 25% कर दिया गया है।
- (v) विनिर्दिष्ट स्टूडियो उपस्कर और अर्थ स्टेशन उपस्कर पर सीमाशुल्क 35% से घटाकर 15% कर दिया गया है।
- (vi) लेखन उपकरणों के पुर्जों के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री पर सीमाशुल्क 35% से घटाकर 15% कर दिया गया है।
- (vii) क्रीडा सामान के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री पर सीमाशुल्क 35% से घटा कर 15% कर दिया गया है।
- (viii) तारामंडल की स्थापना के लिए अपेक्षित उपस्कर, पुर्जे और फालतू पुर्जों पर प्रतिशुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क सहित सीमाशुल्क 35% से घटा कर 15% कर दिया गया है।
- (ix) वायु प्रचालित विद्युत जनित्र के घुणित्रों के लिए ब्लेडों का विनिर्माण करने के लिए कच्ची सामग्री को प्रति शुल्क से छूट प्रदान की गई है।
- (x) नेपाल से आयातित वनस्पति, ऐक्रिलिक सूत आवलन/विद्युत रोधी परत वाले ताम्र की तारों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित किया गया है।
- (xi) पैराक्सीलीन पर सीमाशुल्क 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है।
- (xii) निवास स्थान स्थानान्तरण पर सामान ले जाने संबंधी रियायत में निम्नलिखित मदें जोड़ी गई है:-
- (क) लैपटाप/नोटबुक कम्प्यूटर
- (ख) डेस्कटाप कम्प्यूटर
- (ग) वहनीय फोटोकापिंग मशीन;
- (घ) डी वी डी (डीजिटल वीडियो डिस्क) प्लेयर;
- (ङ) वी सी डी (वीडियो कैसेटडिस्क) प्लेयर
- (च) चार या अधिक बर्नर वाले विद्युतीय/एल पी जी कुकिंग रेंज; और
- (छ) वीडियो गृह थिएटर पद्धति
- (xiii) निवास स्थान स्थानान्तरण नियम (टीआर) के अधीन सामान पर मूल्य सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ा कर 5 लाख रुपए कर दी गई है और उस पर शुल्क 35% से घटा कर 30% कर दिया गया है।
- (xiv) "मिनि" निवास स्थान स्थानान्तरण नियम के अधीन सामान पर मूल्य सीमा 30,000 रुपए के बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है।

उत्पाद-शुल्क

टिप्पण: वि.उ.शु. से अभिप्रेत है विशेष उत्पाद-शुल्क।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के संबंध में मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :

क. मूल्यानुसार दर ढांचा :

(I) निम्नलिखित मदों पर वि.उ.शु. का उत्पादन किया गया :

- क. श्रृंगार सामग्री और प्रसाधन निर्मितियां
- ख. निजी उपयोग के लिए यात्रा किट
- ग. सफेद सीमेंट और अन्य सीमेंट
- घ. याट और जलयान तथा प्लावमान संरचना
- ङ. आयुध और गोला बारूद
- च. फरदार चर्म और कृत्रिम फर के विनिर्माण

(II) ऐसी मदें जिन पर उत्पाद शुल्क 8% से बढ़ा कर 16% कर दिया गया है:

- क. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस
- ख. किरोसीन
- ग. ऑटो संपीडित प्राकृतिक गैस
- घ. 10 अश्व शक्ति तक के डीजल इंजनों

ख. 4% से 8% तक वृद्धि

निम्नलिखित मदों पर उत्पाद-शुल्क 4% से बढ़ाकर 8% किया गया है :

- क. दूध ब्रश
- ख. नकली आभूषण
- ग. नज़र के चश्में
- घ. कांच के खाने पीने के और रसोई के बर्तन
- ङ. श्याम और श्वेत टीवी सेट
- च. 500 रुपए प्रति नग तक की कलाई घड़ियां और दीवार घड़ियां
- छ. 20 रुपए प्रतिनग तक के इलेक्ट्रिक बल्ब
- ज. मोमबतियां

ग. 4% पर अधिरोपण

विनिर्दिष्ट मदों पर 4% की दर से उत्पाद-शुल्क अधिरोपित किया गया है।

घ. चाय

चाय पर उत्पाद-शुल्क 2 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 1 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया है।

ङ वस्त्र:

- क. अट्टियों के रूप में सूती धागे पर उत्पाद-शुल्क छूट वापस ली गई है और 8% की दर से उत्पाद-शुल्क अधिरोपित किया गया है;
- ख. प्रसंस्कृत फैब्रिक (उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60 के) पर उत्पाद-शुल्क 16% से घटाकर 12% किया गया है। सभी अप्रसंस्कृत फैब्रिकों की दशा में, 12% के उत्पाद-शुल्क को वैकल्पिक बनाया गया है।
- ग. सूत के प्रसंस्कृत बुने हुए फैब्रिकों पर वैकल्पिक आधार पर 12% की दर से उत्पाद-शुल्क अधिरोपित किया गया। किसी हथकरघा विकास अभिकरण के स्वामित्व वाले द्वारा अनुमोदित किसी कारखाने द्वारा विद्युत की सहायता से प्रसंस्कृत हथकरघा फैब्रिकों पर छूट जारी रहेगी।
- घ. तैयार वस्त्रों और व्यूतित वस्त्रों पर उत्पाद-शुल्क को 16% से घटाकर 12% किया गया है।
- ङ. बुने हुए या क्रोशियाकृत वस्त्रों पर 12% की दर से उत्पाद-शुल्क वैकल्पिक आधार पर अधिरोपित किया गया है।
- च. हथकरघा फैब्रिकों से बने रेडीमेड वस्त्रों को, विनिर्माता द्वारा इस प्रभाव की घोषणा करने और हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा इस प्रभाव के प्रमाणन के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान की गई है।
- छ. स्वतंत्र वस्त्र प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए वैकल्पिक प्रशमित उदग्रहण स्कीमों का उत्पादन किया गया है।

च. पेट्रोलियम

- क. घरेलू कच्चे तेल पर उपकर 900 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1800 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया गया है।
- ख. पेट्रोल पर मूल्यानुसार शुल्क को 90% से घटाकर 32% किया गया है।

- ग. पेट्रोल पर 6 रुपए प्रति लीटर का अधिभार अधिरोपित किया गया है। 5% इथेनोल से युक्त पेट्रोल पर अधिभार 5.25 रुपए प्रति लीटर होगा।
 घ. उच्च गति डीज़ल पर उत्पाद-शुल्क को 20% से घटाकर 16% किया गया है।
 ङ. उत्तर पूर्व में स्थित सभी चार परिष्करणिया, अर्थात् एनआरएल, डिगबोई, गोंहाटी और बीआरपीएल सामान्य शुल्क दर के पचास प्रतिशत की दर से शुल्क का संदाय करेंगी।

छ. लघु उद्योग

- क. ग्रेनाइट पर लघु उद्योग छूट वापस ली गई है।
 ख. ऐसी एअर गनों, एअर राइफलों, एअर पिस्टलों पर, जिन्हें आयुध अधिनियम के उपबंधों से छूट प्राप्त है, लघु उद्योग छूट का विस्तारण किया गया है।
 ज. **शीतागार उपस्कर:**

निम्नलिखित मदों को, जब उनका प्रदाय शीतागारों को किया जाए, उत्पाद-शुल्क से छूट प्रदान की गई है:

- क. चल पूर्व शीतन उपस्कर
 ख. स्थैतिक पूर्व शीतन उपस्कर
 ग. नियंत्रण वातावरण/उपांतरित वातावरण शीतागार के लिए नियंत्रण उपस्कर

झ. थोरियम आक्सालेट और वैटल निष्कर्ष

- (i) थोरियम ओक्सालेट और वैटल निष्कर्ष
 (ii) वैटल निष्कर्ष को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

ज. एडस प्रतिरोधी ओषध

निम्नलिखित एडस प्रतिरोधी ओषधों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है:

- क. लेमिवूडीन
 ख. स्टावूडीन
 ग. डिडनोसाइन
 घ. सेक्विनावीर
 ङ. रिटोनावीर
 च. इंडिनावीर
 छ. इफाविरेंज
 ज. नेलफिनावीर
 झ. नितिरापाइन

ट. उत्पाद-शुल्क के अधिकतम खुदरा कीमत आधारित निर्धारण का विस्तार:-

निम्नलिखित मदों को अधिकतम खुदरा कीमत आधारित निर्धारण की स्कीम में सम्मिलित किया गया है:

- क. शर्करा की कतिपय निर्मितियां।
 ख. ऐसी शर्करा कन्फेक्शनरी (जिसके अंतर्गत सफेद चाकलेट भी है, जिसमें कोको अंतर्विष्ट नहीं है (हार्ड बॉयल्ड टॉफी)।
 ग. रंजक सामग्री और रंजक सामग्री पर आधारित निर्मितियां।
 घ. ऐसे रंजक और अन्य रंजक सामग्रियां, जिन्हें इस प्रकार का आकार या लघु पैकिंग दी गई हैं, जैसी कि घरेलू या प्रयोगशाला प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती है।
 ङ. टिकिया, नलिका, जार, बोतल, पैन में समान सामग्री या पैकिंग के वैसे ही रूपों में कलाकार, विद्यार्थी, साइनबोर्ड पेटर्स के रंग, उपांतरक रंग, मनोरंजन रंग।
 च. रेसिन, सीमेंट, संधिरोधी यौगिक और अन्य मैस्टिक, पेंटों के भरण, भवनमुख, अंतः दीवारों, फर्श और छतों या सदृश के लिए गैर परावर्तक सतही निर्मितियां।
 छ. विडियो रिकोर्डिंग/रिप्रोड्यूसिंग साधित्र, चाहे उनमें विडियो ट्यूनर समाविष्ट हो अथवा नहीं।
 ज. 1000 वाट से अनधिक वोल्टता के लिए स्विचों, प्रतिसारण, फ्यूजों, क्षणिक अनुक्रिया, निरोधक, प्लगों, साकेटों, लैम्प होल्डर्स, जंक्शन बाक्सों आदि।
 झ. स्वच्छता सामान और फिक्सचर।

ठ. सेवा-कर

- (क) निम्नलिखित सेवाओं पर 5% की दर से सेवा कर अधिरोपित किया गया है:-
 (i) जीवन बीमा जिसमें जीवन बीमा से संबंधित बीमा सहायक सेवा भी सम्मिलित है
 (ii) स्थोरा उठाई-धराई (केवल अंतरदेशीय स्थोरा)
 (iii) भंडारण और भांडागारण सेवाएं (कृषि उत्पाद और शीतागार के सिवाय)
 (iv) आयोजन प्रबंधन
 (v) रेल ट्रेवल एजेंट

- (vi) स्वास्थ्य क्लब और व्यायाम केन्द्र
- (vii) ब्यूटी पार्लर
- (viii) फैशन डिजाइनर
- (ix) केबल आपरेटर
- (x) ड्राईक्लिनिंग सेवाएं
- (ख) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं जिसमें गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियां सम्मिलित हैं, को लागू विनिर्दिष्ट बैंककारी और वित्तीय सेवाओं पर सेवा कर अब उन निगमित निकायों पर विस्तारित किया गया है जो वैसी ही सेवाएं प्रदान करते हैं।
- (ग) होटलों पर सेवा कर से छूट को 31-3-2003 तक विस्तारित किया गया है।

सेवा कर से संबंधित महत्वपूर्ण विधायी परिवर्तन--

- (क) 6 मास से 1 वर्ष तक सेवा कर की वसूली के लिए सूचना जारी करने हेतु समय सीमा में वृद्धि करना और विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में सेवा कर की वसूली के लिए सूचनाएं जारी करने हेतु "सुसंगत तारीख" विहित करना;
- (ख) आउटपुट सेवाओं पर सेवा कर के संदाय के लिए इनपुट सेवाओं पर संदत्त सेवा कर जमा करना अनुज्ञात करना परंतु इनपुट और आउटपुट सेवा दोनों; उसी प्रवर्ग के अंतर्गत आती हों;
- (ग) सहायक आयुक्त/उपायुक्त द्वारा, केन्द्रीय उत्पादशुल्क आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना 25000 से 2 लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित करने के लिए मूल्य सीमा में वृद्धि करना।
- (घ) तदनुसार, उद्ग्रहण की परिधि और शुल्क की वसूली को स्पष्ट करने के लिए 16 जुलाई, 2001 से भूतलक्षी रूप से प्रसारण सेवा से संबंधित परिभाषाओं में संशोधन करना।

ड अंतरदेशीय वायु यात्रा कर

त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर और मिजोरम पूर्वोत्तर राज्यों और वहां से सभी रूटों पर अन्तरदेशीय वायु यात्रा कर से छूट दी गई है। यह इन राज्यों में विद्यमान वर्तमान छूट के अतिरिक्त है।

प्रकीर्ण

विशेषज्ञ समिति

- I. अप्रत्यक्ष कर प्रशासन की प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने और इस संबंध में देयों के विलंबित संदाय सिफारिशें देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा।
- II. मांगों और प्रतिदायों पर ब्याज
 - क. मांगों पर ब्याज की दर 24% से कम कर के 15% कर दी गई है।
 - ख. विलंबित प्रतिदायों पर ब्याज की दर 8% होगी।

डाक शुल्क दर का वित्त विधेयक, 2002 के (खण्ड सं. 147 द्वारा) प्रस्तावित संशोधन दर्शाने वाला ज्ञापन

कतिपय डाक सामग्रियों के लिए लगाई जाने वाली शुल्क दरों की अधिकतम सीमा भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की प्रथम अनुसूची में विहित की गई है। इस अनुसूची और अन्य सेवाओं में शामिल नहीं की गई ऐसी सामग्री और अन्य डाक सामग्री के संबंध में विहित उक्त अधिकतम सीमा के भीतर, केन्द्रीय सरकार को (भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 7 द्वारा) भारतीय डाकघर नियम, 1933 में संशोधन करते हुए, राजपत्र में, अधिसूचना जारी करके दरों को नियत करने की शक्ति प्राप्त है।

2. नीचे दी गई सारणी में क्रम संख्या 1 से 4 और क्रम संख्यांक 5(i) और 6 पर सूचीबद्ध डाक सामग्री के संबंध में शुल्क दरों का पुनरीक्षण के प्रस्ताव में भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है तथा इन्हें वित्त विधेयक में शामिल कर लिया गया है। ये परिवर्तन तथा अन्य डाक सेवाओं की शुल्क दरों का पुनरीक्षण भारतीय डाकघर नियम, 1933 में संशोधन करते हुए, किए जाएंगे।

क्रम सं.	सेवा का नाम	विद्यमान दर	प्रस्तावित दर
1.	पत्र (लिफाफा)	4.00 रुपए प्रति 20 ग्राम के लिए	5.00 रुपए प्रति 20 ग्राम के लिए
2.	पत्र कार्ड (अन्तर देशीय पत्र कार्ड)	2.00 रुपए	2.50 रुपए
3.	मुद्रित पोस्ट कार्ड	3.00 रुपए	6.00 रुपए
4.	प्रतियोगिता पोस्टकार्ड	5.00 रुपए	10.00 रुपए
5.	बुक पोस्ट		
	(i) बुक पैटर्न और नमूनों के पैकेट	(क) 3.00 रुपए पहले 50 ग्राम के लिए (ख) 4.00 रुपए अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए	(क) 4.00 रुपए पहले 50 ग्राम के लिए (ख) 3.00 रुपए अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए
	(ii) पुस्तक पैकेट जिनमें नियतकालिक पत्रिकाएं अन्तर्विष्ट हैं	(क) 2 रुपए पहले 100 ग्राम के लिए (ख) 2 रुपए अतिरिक्त 100 ग्राम के लिए (मूल्य का कोई संबंध नहीं)	(क) 1 रुपया से 20 रुपए कोई परिवर्तन नहीं (ख) 21 रुपए से 50 रुपए तक (i) 4 रुपए पहले 100 ग्राम के लिए (ii) 5 रुपए अतिरिक्त 100 ग्राम के लिए (ग) 51 रुपए और उससे अधिक (i) 8 रुपए पहले 100 ग्राम के लिए (ii) 9 रुपए अतिरिक्त 100 ग्राम के लिए
	(iii) पुस्तक पैकेट जिनमें मुद्रित पुस्तकें अन्तर्विष्ट हैं	1 रुपया प्रत्येक 100 ग्राम के लिए (मूल्य का कोई संबंध नहीं)	(क) 1 रुपया से 50 रुपए तक कोई परिवर्तन नहीं (ख) 51 रुपए से 250 रुपए तक प्रत्येक 100 ग्रा. के लिए 2 रुपए (ग) 251 रुपए या उससे अधिक 8 रुपए प्रत्येक 100 ग्राम के लिए
6.	पार्सल	(क) 16 रुपए पहले 500 ग्राम के लिए (ख) 15 रुपए, अतिरिक्त 500 ग्राम या इसके भाग के लिए	(क) 19 रुपए पहले 500 ग्राम के लिए (ख) 16 रुपए अतिरिक्त 500 ग्राम या इसके भाग के लिए